## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## <sup>1</sup>[Section 31A: Facility of digital payment to recipient.

The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.]

<sup>1</sup> Section 31A inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

## 1[धारा 31क : प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रोनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।

<sup>1</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा धारा 31क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।